I. C

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य–1155/2019– 05/22-23 प्र०(जी०)/राँची, दिनांक 13-06-22

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **गोड्डा जिलान्तर्गत हरणा वीयर योजना अन्तर्गत दक्षिण हरणा वीयर के मुख्य नहर, उत्तरी हरणा के मुख्य नहर एवं महेशपुर वितरणी के लाईनिंग कार्य तथा संरचनाओं के पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 125.67 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ सड़सठ लाख) मात्र के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन गोड्डा जिलान्तर्गत हरणा वीयर योजना अन्तर्गत दक्षिण हरणा वीयर के मुख्य नहर, उत्तरी हरणा के मुख्य नहर एवं महेशपुर वितरणी के लाईनिंग कार्य तथा संरचनाओं के पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 125.67 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ सड़सठ लाख) मात्र के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. गोड्डा जिलान्तर्गत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के प्रक्षेत्राधीन हरणा वीयर योजना, चन्दन जलाशय योजना (बिहार) से निःसृत चंदन उच्च स्तरीय मुख्य नहर पर हरणा दक्षिण वीयर एवं हरणा उत्तरी वीयर के रूप में अवस्थित है।

4. (क) **हरणा (दक्षिण) वीयर योजना** – इस वीयर से निकलने वाली मुख्य नहर की लम्बाई 0.54 कि०मी० है, जिसके 0.13 कि०मी० से कुटनीपाथर वितरणी निकलती है।

(ख) **हरणा (उत्तर) वीयर योजना** :– इस वीयर से निःसृत मुख्य नहर की कुल लम्बाई 21.76 कि०मी० है, जिससे कुल पाँच (5) वितरणियाँ क्रमशः लुकलुकी (लम्बाई– 5.97 कि०मी०), महेशपुर (लम्बाई– 14.63 कि०मी०), लखनपहाड़ी (लम्बाई– 8.16 कि०मी०), बिरसेनी (लम्बाई– 5.42 कि०मी०) एवं करियातरी (लम्बाई– 4.69 कि०मी०) वितरणी निकलती है। इस प्रकार वितरणियों की कुल लम्बाई 38.87 कि०मी० है। इन नहरों से गोड्डा, पत्थरगामा प्रखण्ड के कुल 25 ग्रामों में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

5. चान्दन उच्च स्तरीय नहर (बिहार) से डकाई लिंक नहर द्वारा झारखण्ड में त्रिवेणी, कझिया, दक्षिणी हरणा, उत्तरी हरणा को जोड़ते हुए इनके कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई दी जायेगी। डकाई लिंक नहर का लाईनिंग कार्य प्रगति पर है। त्रिवेणी से कझिया तक लिंक नहर का लाईनिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कझिया मुख्य नहर जो दक्षिणी हरणा को जोड़ती है का लाईनिंग कार्य प्रगति पर है।

इस क्रम में दक्षिण हरणा से उत्तरी हरणा नहर प्रणाली का लाईनिंग एवं पुनरूद्धार कार्य का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है। दक्षिण हरणा वीयर का मुख्य नहर (लम्बाई– 0.54 कि०मी०), उत्तरी हरणा का मुख्य नहर (लम्बाई– 21.76 कि०मी०) एवं महेशपुर वितरणी (लम्बाई– 14.63 कि०मी०) का लाईनिंग कार्यों का प्रावधान किया गया है। महेशपुर वितरणी, जिसका जलश्राव 118 घनसेक है, लम्बाई 480 चेन (14.63 कि०मी०) एवं CCA 1000 हे० है, का लाईनिंग कार्य का प्रावधान किया गया है।

6. योजना के पुनर्स्थापन कार्य के दौरान मुख्य नहर के कि०मी० 5.12 से 5.273 एवं कि०मी० 12.009 से 12.1005 के बीच Soft rock निकल जाने के कारण नहर में खरीफ सिंचाई के समय जल प्रवाह अवरूद्ध हो जाता है। चूँकि पूर्व के प्राक्कलन में Soft rock हटाने का प्रावधान नहीं किया गया था। फलस्वरूप यह कार्य नहीं हो पाया। इस कारणवश Soft rock हटाने का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है। साथ ही मुख्य नहर एवं वितरण प्रणालियों में अवस्थित CD, Fall, Outlet, Inlet, Bridge/Culvert एवं Syphon आदि क्षतिग्रस्त संरचनाओं के मरम्मति का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

मुख्य नहर एवं उससे निःसृत एक वितरणी (जलश्राव 118 घनसेक) लाईनिंग कार्य कराये जाने से 7600 हे० की रूपांकित सिंचाई क्षमता प्राप्त हो जायेगी।

7. हरणा वीयर योजना के ई०आर०एम०, लाईनिंग कार्य एवं अवशेष संरचनाओं के पुनरूद्धार कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के लिये रू० 125.67 करोड़ के प्राक्कलन की मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction) प्रदान की गयी है। प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नांकित है –

Sl. No.	Component	Amount (in Rs.)
1	A- Preliminary	5,82,091.00
2	D- Regulator	81,33,725.00
3	E- Fall	4,42,277.00
4	F- C.D. (Nos.)	1,59,91,227.00
5	G- Bridges (6 Nos.)	2,67,00,599.00
6	**L- Earth Work & Lining**	
(i)	Earth Work	4,66,23,264.00
(ii-a)	Lining North Harna Main Canal	46,16,73,446.00
(ii-b)	Lining South Harna Main Canal	1,23,13,910.00
7	P-Maintenance (Guard Wall)	1,54,25,932.00
8	R-Communication (Length – 21.76 km)	3,87,31,054.00
9	U- Distributary	47,88,51,919.00
	Total :-	**110,54,69,444.00**
	Add : GST - 12%	13,26,56,333.28
	Total :-	**123,81,25,777.28**
	Add : 1% Labour Cess	1,23,81,257.77
	Add : CNC	61,90,628.89
	Grand Total :-	**125,66,97,663.94**
	Say :-	**Rs. 125.67 crore**

8. योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता, विगत तीन वर्षो में सिंचाई उपलब्धि एवं पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता का विवरण निम्नवत् है –

			खरीफ (हे०)
(i)	रूपांकित सिंचाई क्षमता	–	7600
(ii)	सिंचाई उपलब्धि	–	
	वर्ष 2018–19	–	2700
	वर्ष 2019–20	–	4500
	वर्ष 2020–21	–	5000
(iii)	लाईनिंग एवं अवशेष संरचनाओं के पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता	–	2600
(iv)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त कुल सिंचाई क्षमता	–	7600 (100%)
(v)	लाभान्वित प्रखण्ड	–	गोड्डा, पत्थरगामा

9. प्राक्कलन के मदों का दर वर्त्तमान झारखण्ड सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसूचित दर जून 2021 पर आधारित है।

10. इस योजना के कार्यों हेतु कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।

11. योजना का कार्य 2.5 (ढाई) वर्षों में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

12. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट उपबंध –

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –001– निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–78–पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-001-78-00-05-45)

वर्ष 2022–23 के बजट में पूर्ण सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु – शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 001 – 78 – 00 – 05 – 45 में रू० 8150.00 लाख का प्रावधान है।

13. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

14. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

15. इस कार्य हेतु राशि की निकासी दुमका कोषागार, दुमका से की जायेगी।

16. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

17. राशि का आवंटन बजट उपबंध के अन्तर्गत किया जाएगा।

18. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

19. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

20. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

21. प्रस्ताव पर दिनांक 07.03.2022 की बैठक में राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

22. प्रस्ताव पर, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

23. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 26.04.2022 के मद सं०–17 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

24. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

25. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

13/6/22

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव

पत्रांक:– 1/पी०एम०सी०/कार्य–1155/2019– 05/22-23 पो०सी० **/राँची, दिनांक** 13-06-22

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:– 1/पी०एम०सी०/कार्य–1155/2019– 05/22-23 पो०सी० **/राँची, दिनांक** 13-06-22

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दुमका कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\MIS Cell Dept\03.01.2022\Note 5\VKumar\Sanlekh\Harna Weir 14.01.20.doc

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1155/2019— 05/22-23 पु०नि० **/राँची, दिनांक** 13-06-22

प्रतिलिपि :— सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ ~~अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची~~/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल दुमका/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1155/2019— 05/22-23 पु०नि० **/राँची, दिनांक** 13-06-22

प्रतिलिपि :— आयुक्त, संथालपरगना, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य—1155/2019— 05/22-23 पु०नि० **/राँची, दिनांक** 13-06-22

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव